


पत्रकारों एवं अभिभावकों
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय राजस्व मण्डल खण्ड पीठ रीवा, जिला-रीवा (म०प्र०)



निगरानी क्र. /2012



1. श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व० सत्यभान प्रसाद
2. कन्हैयालाल पुत्र स्व. सत्यभान प्रसाद
3. कृष्णलाल पुत्र स्व० सत्यभान प्रसाद
4. विष्णुदयाल पुत्र स्व० सत्यभान प्रसाद
5. सच्चितानंद पुत्र स्व० सत्यभान प्रसाद
6. घनश्याम पुत्र स्व० सत्यभान प्रसाद
7. कु० प्रतिभा पुत्री स्व० सत्यभान प्रसाद
8. कु० प्रतिमा पुत्री स्व० सत्यभान प्रसाद
9. कु० प्रर्मिला पुत्री स्व० सत्यभान प्रसाद

R-1348-II/12

अधिवक्ताजी सुप्रसन्न
द्वारा द्वारा प्रस्तुत।

21.01.2012

सभी निवासी ग्राम सिरौला, तहसील मझौली, जिला-सीधी (म०प्र०)

-----निगरानीकर्ता

बनाम

1. राममूर्ति प्रसाद तनय हरिवंश प्रसाद ब्रा० निवासी ग्राम सिरौला, तहसील मझौली, जिला-सीधी (म०प्र०)
2. म०प्र० शासन

-----गैर निगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 विरुद्ध
आदेश कलेक्टर सीधी अन्तर्गत निगरानी
प्रकरण क्र. 15/निग./1999-2000
आदेश दिनांक 24.10.2011

31/1/2012

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर पुनरीक्षण/निगरानी प्रस्तुत है :-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य :-

1. यह कि कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत उक्त भूमियों का भूमि स्वामी घोषित किये जाने हेतु दिनांक 17.12.1993 को प्रस्तुत किया गया।


(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/1348/एक/12 जिला सीधी

प्रेमवती बनाम राममूर्ति

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-18 रीवा कैम्प	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गयी। आवेदक को सुनवाई दिनांक की जानकारी होने के उपरांत प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। पूर्व पेशियों पर भी अभिभाषक/पक्षकार द्वारा न्यायालयीन निर्देशों अपील / रिवीजन मेमो व अन्य दस्तावेजों की पर्याप्त प्रतिलिपि जमा करने का पालन नहीं किया गया। आज दिनांक को भी प्रकरण में अभिभाषक / पक्षकार द्वारा रुचि नहीं ली गयी है अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p> सदस्य 20/6/18</p>

